न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर समक्षः मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 578-तीन/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 19-10-2015 पारित द्वारा तहसीलदार, गुलाना जिला शाजापुर प्रकरण कमांक 3/अ-12/2014-15.

लक्ष्मीनारायण पिता मुंशीलाल निवासी ग्राम बुड़लाय तहसील गुलाना जिला शाजापुर

......आवेदक

विरुद्ध

1- धरमराजिसंह पिता माखनिसंह निवासी ग्राम बुड़लाय तहसील गुलाना जिला शाजापुर

2- म.प्र. शासन

.....अनावेदकगण

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदक श्री ए.एस. परमार, अभिभाषक, एवं श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक, अना. क. 1

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, गुलाना जिला शाजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19—10—15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा तहसीलदार, गुलाना जिला शाजापुर के समक्ष ग्राम बुड़लाय स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1907 रकबा 0.500 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 1908 रकबा 0.170 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 23/अ—12/14—15 दर्ज किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया जाकर दिनांक 19—10—2012 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निर्मक्षक द्वारा दिनांक 12-10-15 को सीमांकन किये जाने संबंधी आवेदक पर सूचना पत्र की तामीली कराया गया था, परन्तु दिनांक 12-10-15 को सीमांकन नहीं किया जाकर आवेदक की अनुपस्थित में दिनांक 13-10-15 को सीमांकन किया गया है, जो कि अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा आवेदक की भूमि हड़पने के उद्देश्य से नियत दिनांक को सीमांकन नहीं कराकर दूसरे दिन सीमांकन कराया गया है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा स्थायी सीमा चिन्हों से सीमांकन नहीं किया गया है, और फील्डबुक भी नहीं बनाई गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का ट्यूबवैल लगा हुआ है, अतः उक्त भूमि हड़पने के उद्देश्य से अनावेदक कमांक 1 द्वारा अवैध सीमांकन कराया गया है ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत सीमांकन कराया गया है, जो कि हस्तक्षेप योग्य नहीं है । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत पड़ोसी कृषकों की उपस्थिति में सीमांकन किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक की उपस्थिति में सीमांकन किया गया है । उनके द्वारा सीमांकन आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया । 5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत आवेदक सहित हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दी जाकर सीमांकन किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि आवेदक को बिना सूचना दिये उसकी अनुपस्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है, क्योंकि दिनांक 12-10-2015 को सीमांकन किये जाने संबंधी सूचना पत्र आवेदक पर तामील हुआ है, और उसके दूसरे दिन दिनांक 13-10-2015 को सीमांकन सम्पन्न किया गया है । अतः आवेदक की जानकारी में प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किये जाने का तथ्य आ चुका था, तब उसका यह दायित्व था कि वे सीमांकन के समय उपस्थित रहते । दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, गुलाना जिला शाजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–10–15 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

offer

(मनोज गोयल) अध्यक्ष राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर